न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 205 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 03.09.2015

1. भोलीराम पिता कालुराम जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. श्रीमती कंचन पुत्री भोलीराम जाति जाट निवासी सीतारामजी का खेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   2. श्रीमती शारदा पुत्री भोलीराम जाति जाट निवासी शाहाबाद मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   3. चंदाबाई पुत्री भोलीराम जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील नयागांव जिला नीमच –मृतक के बजाय
      1/3.1.विशाल पुत्र चंदाबाई पुत्री भोलीराम जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. निर्मल पिता लोभचंद जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती श्यामाबाई पत्नि लोभचंद जाति जाट निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. लोभचंद पिता भोलीराम जाति जाट निवासी चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. उप-पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 202/2009 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015

उपस्थित- 1. अमित नाहर- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. छोगालाल जाट-रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4

निर्णय **दिनांक 28.11.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के मोजा चिकसी तहसील चित्तौडगढ़ मे खाता सं. 180 मे दर्ज आराजी नम्बर 209, 212, 218, 219, 394, 575, 576, 1080,

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1081, 1244/595 कुल किता 10 कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर अवस्थित है जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की पैतृक कृषि आराजीयात है। जो वर्तमान मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के नाम कर्त्ता खानदान होने से दर्ज रेकार्ड है। वादपत्र मे पारिवारिक सजरा भी अंकित किया व निवेदन किया कि उक्त विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के पिता व प्रतिवादी सं. 2 के दादा स्वर्गीय कालुराम की होकर पैतृक कृषि आराजीयात है जो कालुराम की मृत्यु के पश्चात् विरासत से ऊंकारलाल व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात् ऊंकारलाल व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने आपसी बंटवाडा कर विवादित कृषि आराजीयात को अलग-अलग दर्ज करवा ली तभी से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता प्रतिवादी सं. 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के काका बापुलाल व प्रतिवादी सं. 1 उक्त कृषि आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 का अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल मे 1/3 हक व हिस्सा निहित है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/30 हक व हिस्सा निहित है। उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 1 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 अन्य परिवार के सदस्यगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी विवादित कृषि आराजीयात मे 1/30 हक व हिस्सा घोषित करा उसी अनुसार बंटवाडा कराये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया। यह भी निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात मे अकेले अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 अपने पुत्र बापुलाल व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के बहकावे मे अपने पुत्र भेरूलाल के नाम उक्त पैतृक कृषि आराजीयात हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक होने से वादपत्र पेश है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादी के संरक्षक माता श्यामाबाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से जिरह की गई। साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादी सं. 2 रेस्पोडेन्ट सं. 2 गवाह मे उपस्थित हुआ। जिसकी जिरह की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम विचाराधीन रहते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट चिकसी मजमे आम मे नियत की गई। जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से उसकी संरक्षक माता श्यामाबाई उपस्थित हुई जिसको सुना जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय ने विवादित कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड के अनुसार पैतृक होना प्रमाणित मानते हुए व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को रेस्पोडेन्ट सं. 2 का जायन्दा पुत्र प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जवाबदावा अस्वीकारोक्ति का प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम की गई। उभयपक्षो की साक्ष्य ली जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम मे नियत कर उक्त पत्रावली को बिना सूचना दिये लोक अदालत कैम्प कोर्ट चिकसी मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। जबकि लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे उभयपक्ष उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से लिखित राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते हो। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी को लोक अदालत का कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया नही अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 जो विवादित आराजीयात का खातेदार है। अधीनस्थ लोक अदालत मे उपस्थित हुआ न ही किसी प्रकार का कोई लिखित राजीनामा ही प्रस्तुत हुआ फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत के सिद्धान्तो के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। बहस मे यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण मे पौत्र ने दादा के विरूद्ध बंटवाडे का दावा पिता के जीवित रहते प्रस्तुत किया है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 19 के विपरीत होने व संयुक्त परिवार के सदस्य आवश्यक पक्षकार थे जिनको पक्षकार मुकदमा कायम किये बगैर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अदालत के आज्ञापक प्रावधान अनुसार बहस सुनकर निर्णय नही किया है। लोक अदालत के सम्मन तामील नही हुए है। जवाबदावे पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नही है। साक्ष्य कब बन्द की आदेशिका पर स्पष्ट नही किया गया है जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र का प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वार पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षो की साक्ष्य ली जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वास्ते बहस उभय पक्षकारान नियत रहते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट चिकसी मे नियत की गई। जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 की संरक्षक माता श्यामाबाई उपस्थित हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते बहस विचाराधीन होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली मे बहस सुनी जाकर विवादित कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड व सजरे से पैतृक होना प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने जानकारी होते हुए म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद व गुणावगुण के आधार पर स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री पैतृक कृषि आराजीयात मे हक व हिस्से के अनुसार होना मानते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने पैतृक कृषि आराजीयात मे अपने हक व हिस्से की घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम की व उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम विचाराधीन रहते हुए उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट चिकसी मे नियत की गई। जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 को बिना सूचना दिये अपीलान्ट प्रतिवादी की अनुपस्थिति मे बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। लोक अदालत विशुद्ध रूप से सुलह व

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पंचाट से सम्बन्धित है। लोक अदालत गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिये सक्षम नही होते हुए गुणावगुण पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। जो न्यायोचित व विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 202/2009 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण पत्रावली मे कायम की गई तनकियात के अनुसार तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय उभयपक्षकारान की बहस समायत कर पत्रावली का 2 माह मे निस्तारण करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 28.12.2022 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)